न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/46/2016	09–08–2016	15–01–2019

01–नन्दाराम पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी ग्राम कानपुरा लोज, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज।

अपीलाण्ट

बनाम

01–नायब तहसीलदार नारायणपुर, जिला अलवर राज।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नारायणपुर दिनांक 25.06.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 42/2016

उपस्थितः–

01–श्री के. के. शर्मा —वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार नारायणपुर के आदेश दिनांक 25.06.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कानपुरा लोज की बंजड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 783/0.10 है0 पर अवैध कब्जा करने पर बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा लोज की बंजड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 783/0.10 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2016 को पटवारी द्वारा अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 25.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 01.08.2016 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अनुसार पत्रावली का निस्तारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। सिविल न्यायालय का जो भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उस पर विधिक प्रकिया अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)